न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 193/2021

प्रार्थी रायसाहब ने प्रा0पत्र पेश किया है चक 1 केवाईएम ए के मु0नं0 237/64 में 1/11 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम रायसाहब है लेकिन जमाबंदी में रायसाहिब दर्ज हो गया है। प्रार्थी यह शुद्धि करवाना चाहता है।

प्रार्थी के सहखातेदार सुभाषचंद्र पुत्र रामूराम और महावीर पुत्र हंसराज ने अदालत के समक्ष इस तथ्य की तस्दीक की कि प्रार्थी का सही नाम रायसाहब पुत्र रामूराम है। इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत तहसीलदार खाजूवाला को प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested